

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विरुद्ध रूप से
14.2.23	14.2.23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कंडोलेंस करने/कार्य स्थगित करने के कारण पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21.2.23 को पेश की गई। (1)
21.2.23	21.2.23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कंडोलेंस करने/कार्य स्थगित करने के कारण पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28.2.23 को पेश की गई। (1)
28.2.23	28.2.23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कंडोलेंस करने/कार्य स्थगित करने के कारण पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14.3.23 को पेश की गई। (1)
14.3.23	14.3.23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कंडोलेंस करने/कार्य स्थगित करने के कारण पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28.3.23 को पेश की गई। (1)
28.3.23	28.3.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उच्च पक्ष उपरोक्त श्रम प्रार्थना पत्र 2008 से लम्बे समय से मूल निगरानी के साथ चल रहा है। प्रार्थना प्रकटा पत्रावली का श्रम पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं समझते। मूल पत्रावली निगरानी प्रकटा के साथ अनावश्यक रूप से श्रम प्रार्थना पत्र की अतः पत्रावली को चलाया जा रहा है। मूल निगरानी के साथ पत्रावली को अनावश्यक चलाया जा रहा है। अतः आशु र निवेदन श्रम प्रार्थना पत्र 152018 में खारिज किया जाता है। पत्रावली के अंतर्गत उच्च पक्ष द्वारा दर्ज नम्बर से कम होकर एक किताब दर्ज है। (1)

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर